"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 अप्रैल 2011—वैशाख 10, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्रमांक 3195/102/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-04-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 8 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 34 का संशोधन.

2. (1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के पश्चात् शब्द "एक मास", "एक वर्ष", "पांच हजार रुपये" तथा "पच्चीस हजार रुपये" के स्थान पर क्रमशः "छः मास", "दो वर्ष", "दस हजार रुपये" तथा "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित किये जाएं.

(2) मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के परन्तुक में, शब्द "छः मास", "दस हजार रुपये" तथा "एक लाख रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "एक वर्ष", "बीस हजार रुपये" तथा "दो लाख रुपये" प्रतिस्थापित किये जाएं.

(3) मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, शब्द "पच्चीस बल्क लीटर" के स्थान पर, शब्द "पांच बल्क लीटर" प्रतिस्थापित किया जाए.

(4) मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) में, शब्द "पच्चीस बल्क लीटर" के स्थान पर, शब्द "पांच बल्क लीटर" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 35 का संशोधन.

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 35 (ग) में, शब्द "एक मास", "एक हजार रुपये" तथा "चार हज[illegible] रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "दो मास", "पांच हजार रुपये" तथा "पच्चीस हजार रुप[illegible] प्रतिस्थापित किये जाएं.

(2) मूल अधिनियम की धारा 35 (ग) के परन्तुक में, शब्द "छः मास", "एक हजार पांच सौ रुपये" तथा "छः हजार रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "एक वर्ष", "पांच हजार रुपये" तथा "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित किये जाएं.

धारा 36 का संशोधन.

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 36 में शब्द "छः मास तक की हो सकेगी" के स्थान पर, शब्द "तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी" और शब्द "एक हजार रुपये तक" के स्थान पर, शब्द "एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपये तक" प्रतिस्थापित किये जाएं.

(2) मूल अधिनियम की धारा 36-क के खण्ड (ख) में, शब्द "वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा" के स्थान पर, शब्द "वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस

हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा और पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा." प्रतिस्थापित किये जाएं.

(3) मूल अधिनियम की धारा 36 (च) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"36-च. (1) **सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान के लिए शास्ति :—**
जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों (पूजा स्थलों), बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरापान करते हुए या मत्त पाया जाता है तो उसे जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा अपराध के पुनरावृत्त किए जाने की दशा में, जुर्माने से जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा तीन मास के कारावास से दण्डित किया जायेगा.

(2) **सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान कर उत्पात करने के लिए शास्ति :—**
जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरक्त, सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों (पूजा स्थलों), बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरापान करने के पश्चात् उत्पात करते हुए पाया जाता है तो उसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा तीन मास के कारावास से दण्डित किया जायेगा."

5. मूल अधिनियम की धारा 47-क की उपधारा (1) एवं (2) में, शब्द "पच्चीस बल्क लीटर" के स्थान पर, शब्द "पांच बल्क लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 47 का संशोधन.**

6. मूल अधिनियम की धारा 59-क की उपधारा (एक) एवं (दो) में, शब्द "पच्चीस बल्क लीटर" के स्थान पर, शब्द "पांच बल्क लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 59 का संशोधन.**

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्रमांक 3195/102/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 8 of 2011)

THE CHHATTISGARH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Exise Act, 1915 (No. 2 of 1915).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty second year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Excise (Amendment) Act, 2011.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 34.

2. (1) After clause (h) of sub-section (1) of Section 34 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "One month", "One year", "Five thousand rupees" and "Twenty five thousand rupees" the words "Six months", "Two years", "Ten thousand rupees" and "Fifty thousand rupees" shall be substituted respectively.

(2) In proviso to sub-section (1) of Section 34 of the Principal Act, for the words "Six months", "ten thousand rupees" and "one lac rupees" the words "one year", twenty thousand rupees" and "two lac rupees" shall be substituted respectively.

(3) In sub-section (2) of Section 34 of the Principal Act, for the words "Twenty five bulk litre" the words "Five bulk litre" shall be substituted.

(4) In sub-section (3) of Section 34 of the Principal Act, for the words "twenty five bulk litre" the words "five bulk litre" shall be substituted.

Amendment of Section 35.

3. (1) In section 35 (c) of the Principal Act, for the words "one month", "one thousand rupees" and "four thousand rupees" the words "two months", "five thousand rupees" and "twenty five thousand rupees" shall be substituted respectively.

(2) In proviso to Section 35 (c) of the Principal Act, for the words "six month", "one thousand five hundred rupees" and "six thousand rupees" the words "one year", "five thousand rupees" and "fifty thousand rupees" shall be substituted respectively.

Amendment of Section 36.

4. (1) In Section 36 of the Principal Act, for the words "which may extend to six months" the words "which shall not be less than three months but which may extend to five years" and for the words "extend to one thousand rupees" the words "which shall not be less than one lac rupees but which may extend to five lac rupees" shall be substituted.

(2) In clause (b) of Section 36-A of the Principal Act, for the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than two hundred rupees but which may extend to two thousand rupees or with both." the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to twenty five thousand rupees, or with both and for subsequent offence he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees or with both" shall be substituted.

(3) For Section 36-F of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—

"36-F. (1) **Penalty for consumption of alcohol at public places :—** Except at the premises licensed for consumption of alcohol, if any one is found consuming alcohol or in intoxicated condition at public places like-educational institutions, hospitals, temples of worship, bus stand, railway station and public road etc, shall be punished with fine for the first offence which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to five thousand rupees and in case of repeated offence with a fine of not less than five thousand rupees which may extend to ten thousand rupees with three months imprisonment.

(2) **Penalty for creating nuisance after consumption of alcohol at public places :—**Except at the premises licensed for consumption of alcohol, if any one is found creating nuisance after consuming alcohol at public places like-educational institutions, hospitals, temples of worship, bus stand, railway station and public road etc, shall be punished with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty five thousand rupees and three months imprisonment."

Amendment of Section 47.

5. In sub section (1) and (2) of Section 47-A of the Principal Act, for the words "twenty five bulk litre" the words "five bulk litre" shall be substituted.

Amendment of Section 59.

6. In sub section (i) and (ii) of Section 59-A of the Principal Act, for the words "twenty five buld litre" the words "five bulk litre" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.